UPKU010049892022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1, कुशीनगर स्थान पडरौना।
उपस्थित-सुनील कुमार यादव, एच.जे.एस.-U.P.5949
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2550/2022

अमन कुमार सिंह बउम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र राजू सिंह
साकिन-सिरसा बिजुलपुर, थाना-बैकुण्ठपुर, जनपद-गोपालगंज, बिहार।
.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ..... अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०-0015/2022,
धारा-147, 504,506,307भा०द०सं०,
थाना-तमकुहीराज,
जनपद-कुशीनगर।

<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण</u>

1- यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक/अभियुक्त अमन कुमार सिंह की ओर से मु०अ०सं०-0015/2022, अन्तर्गत धारा-147, 504, 506, 307 भा०द०सं०, थाना-तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.2022 को समय 01.11 बजे वादी मुकदमा शौकत अली पुत्र समसुल हक, ग्राम-परसौनी बुजुर्ग (बरवा टोला), थाना-तमकुहीराज द्वारा थाना-तमकुहीराज, जिला-कुशीनगर में इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.07.2022 को समय लगभग 22.00 बजे उसकी दुकान जायका रेस्टोरेण्ट में लगभग पाँच व्यक्ति आकर बैठे तथा रेस्टोरेण्ट प्रबन्धक सगीर से खाने-पीने की चीज मंगाकर खाये-पीये। उसके बाद उठकर जाने लगे। जब उसका प्रबन्धक पैसा मांगा तो सभी व्यक्तियों ने माँ-बहन की गाली देना शुरू कर दिया। शोर-गुल सुनकर वह भी आ गया। उसने जब पैसा मांगा तो एक व्यक्ति, जो नीले रंग का टीशर्ट और काले रंग की पैण्ट पहना था, गाली देते हुये पिस्टल निकालकर उसे जान से मारने की नियत से उसपर फायर कर दिया। वह किसी तरह बाल-बाल बच गया। गोली उसके सिर के बगल से निकल गयी। गोली की आवाज सुनकर आस-पास के कई लोग आ गये। भींड़ देखकर उक्त व्यक्ति गाली-गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। वह उन व्यक्तियों को देखकर पहचान सकता है। मौके पर दुकान में एक खोखा कारतूस गिरा था, जिसको वह दे रहा है। अतः उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही किया जाय। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 147, 504, 506, 307 भा०द०सं० में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3- आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही निस्तारित है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, उसको फर्जी एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत मामले में अभियोजित किया गया है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह

स्वामी विवेकानन्द ओपेन यूनिवर्सिटी, मेरठ में बी०सी०ए० का छात्र है। उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने व उसके कैरियर को नुकशान पहुँचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत मामले में उसका जान-बूझकर फंसाया जा रहा है, जबकि कथित घटना से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रस्तुत मामले में वादी या किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुँची है। उसका नाम सह अभियुक्त के बयान से प्रकाश में आया है। कथित घटना के समय वह यात्रा पर कथित घटना स्थल से बहुत दूर था, इसलिए उसका कथित घटना में शामिल होने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रस्तुत मामले के मुख्य अभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वह माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा व न्यायिक प्रक्रिया में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में कहा है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने तथाकथित कोई अपराध कारित नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने शेष तर्कों में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र में किया गया है और आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

5- इसके विपरीत विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया गया।

6- मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7- प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुये मुकदमा वादी शौकत अली, सगीर अली, चक्षुदर्शी साक्षी जावेद शेख ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० 1973 में बताया है कि मुकदमा वादी शौकत अली जायका रेस्टोरेण्ट, तमकुहीराज का मालिक है और सगीर अली उसका प्रबन्धक है। घटना के दिन अभियुक्त विशाल सिंह, शिवम कुमार सिंह, सोनू सिंह, अमन कुमार, विवेक कुमार सिंह, गुलशन कुमार और राकेश कुमार बिहार प्रान्त के रहने वाले हैं। बिहार प्रान्त में जब से शराब बन्दी हुयी है, तब से ये लोग उत्तर प्रदेश में आकर खाते-पीते हैं। ये लोग दिनांक 23.07.2022 को उसके रेस्टोरेण्ट में आकर खाये-पीये और जब उसके प्रबन्धक ने पैसा मांगा तो माँ-बहन की गाली-गुप्ता देने लगे और वह भी शोर सुनकर पहुँचा तो इनलोगों में से सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक व्यक्ति ने पिस्टल से जान से मारने की नियत से गोली चलायी जिसमें वे लोग बाल-बाल बच गये और गोली सिर के बगल से निकल गयी। उनलोगों के शोर पर भींड़ एकत्रित हो गयी, जिसपर ये लोग रिवाल्वर लहराते हुये एवं जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। विवेचक ने रिवाल्वर से चली गोली का खोखा बरामद किया है। अभियुक्त का यह कहना कि उसको फर्जी एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर उसके कैरियर को नुकशान पहुँचाने के उद्देश्य से उसके विरूद्ध फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराकर उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, इस तरह का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

8- उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अमन कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र मु०अ०सं०-0015/2022, अन्तर्गत धारा-147, 504, 506, 307 भा०द०सं०, थाना-तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 16.01.2023

(सुनील कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by Sunil Kumar Yadav
Date: 2023.01.16 17:21:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court